उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001

(उ0 प्र0 अधिनियम संख्या 31, 2001)

THE UTTAR PRADESH MAHARISHI UNIVERSITY OF INFORMATION TECHNOLOGY ACT, 2001

[U.P. Act No. 31 of 2001]

उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2001[1]

[उ० प्र० अधिनियम संख्या 31, 2001]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 की बैठक में स्वीकृत किया ।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय ने दिनांक 5 अक्टूबर, 2001 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 6 अक्टूबर, 2001 को प्रकाशित हुआ ।]

राज्य में महर्षि इन्स्टीट्यूट आफ क्रियेटिव इन्टेलिजेंस, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित एक विश्वविद्यालय स्थापित करने और उसको निगमित करने और उससे संबंधित या आनुषंगिक विषयों की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

अध्याय – एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2001 कहा जाएगा ।

(2) यह 7 अगस्त, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा ।

परिभाषाएं

2–जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,–

(क) "विद्या परिषद्" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के विद्या परिषद् से है ;

(ख) "घटक महाविद्यालय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी महाविद्यालय या संस्था से है ;

(ग) "तकनीकी शिक्षा परिषद्" का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् से है ;

(घ) "दूरस्थ शिक्षा पद्धति" का तात्पर्य संचार के किसी माध्यम से, यथा प्रसारण, दूर–दृश्य प्रसारण पत्राचार पाठ्यक्रम, सेमिनार, सम्पर्क कार्यक्रम या ऐसे किसी दो या अधिक साधनों के संयोजन द्वारा शिक्षा देने की पद्धती से है ;

(ङ) "कर्मचारी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी कर्मचारी से है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अध्यापक और अन्य कर्मचारिवृन्द भी है ;

(च) "संकाय" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी संकाय से है ;

---

1. उद्देश्यों और कारणों के विवरण के लिये इस अधिनियम के अन्त में देखें ।

(छ) "छात्र निवास" का तात्पर्य छात्रों के निवास की किसी ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हो या मान्यता प्राप्त हो ;

(ज) "महर्षि संस्थान" का तात्पर्य महर्षि इन्स्टीट्यूट आफ क्रियेटिव इंटेलिजेंस, ए–14, मोहन इस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली से है जो सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन, रजिस्ट्रार आफ सोसाइटीज, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली से रजिस्ट्रीकृत एक सोसाइटी है ;

(झ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गो" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की अनुसूची–एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गो से है ;

(ञ) "विहित" का तात्पर्य परिनियमों द्वारा विहित से है ;

(ट) किसी घटक महाविद्यालय के संबंध में "प्राचार्य" का तात्पर्य घटक महाविद्यालय के प्रधान से है और इसके अन्तर्गत जहाँ प्राचार्य न हो वहाँ उपप्राचार्य या प्राचार्य के रूप में कार्य करने के लिये तत्समय नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति से है ;

(ठ) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय के परिनियमों और अध्यादेशों से है ;

(ड) "अध्यापक" का तात्पर्य आचार्य, सह आचार्य, सहायक आचार्य या ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसे विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में शिक्षण प्रदान करने या शोध कार्य के संचालन के लिये नियुक्त किया जाये और इसके अन्तर्गत किसी घटक महाविद्यालय का प्राचार्य भी है ;

(ढ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन स्थापित महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से है ;

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और इन्फारमेशन टेक्नोलाजी अधिनियम, 2000 में परिभाषित शब्दों और पदों के अपने वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित है ।

अध्याय – दो

विश्वविद्यालय और उसके उद्देश्य

विश्वविद्यालय की स्थापना

3–(1) महर्षि संस्थान को इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार होगा ।

(2) महर्षि संस्थान, इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रयोजनों के लिये, निम्नलिखित शर्तो को पूरा करेगा, अर्थात् : ––

(क) भूमि के उतने क्षेत्र का अधिग्रहण करेगा जितना राज्य सरकार विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये आवश्यक समझती हो ;

(ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये एक स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि का सृजन करेगा ;

(ग) विश्वविद्यालय को क्रियाशील बनाने के लिये अवस्थापना और अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करेगा ;

(घ) प्रथम परिनियमावली और प्रथम अध्यादेश बनायेगा ; और

(ङ) ऐसी अन्य शर्ते जैसी विश्वविद्यालय की स्थापना के पूर्व पूरी किये जाने की अपेक्षा राज्य सरकार द्वारा की जाय ।

(3) जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि महर्षि संस्थान ने उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट शर्तो को पूरा कर लिया है वहाँ राज्य सरकार, महर्षि संस्थान को विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए प्राधिकारी प्रमाण–पत्र निर्गत करेगी ।

(4) उपधारा (3) के अधीन प्राधिकार प्रमाण–पत्र की प्राप्ति पर, महर्षि संस्थान, महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के नाम से लखनऊ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करेगा ।

(5) कुलाधिपति, कुलपति, व्यवस्थापक बोर्ड के सदस्य, प्रबन्ध बोर्ड और विद्या परिषद् के सदस्य विश्वविद्यालय में तत्समय इस रूप में पद धारक विश्वविद्यालय के नाम से एक निगमित निकाय गठित करेंगे ।

(6) उपधारा (4) के अधीन विश्वविद्यालय की स्थापना पर महर्षि संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय के प्रयोजनों के लिए अधिगृहीत, सृजित, व्यवस्थित या निर्मित भूमि और अन्य जंगम और स्थावर सम्पत्तियाँ विश्वविद्यालय को स्थानान्तरित और उसमें निहित हो जायेंगी।

विश्वविद्यालय का वित्तीय सहायता आदि के लिए हकदार न होना

4–विश्वविद्यालय राज्य सरकार से, या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी अन्य निकाय या निगम से किसी सहायता अनुदान या कोई अन्य वित्तीय सहायता के लिए हकदार न होगा।

किसी संस्था को सम्बद्ध करने की शक्ति न होना

5–विश्वविद्यालय में घटक महाविद्यालय हो सकते है, किन्तु उसे किसी अन्य महाविद्यालय या संस्था को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति नहीं होगी।

विश्वविद्यालय की शक्तियाँ

6–विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियाँ होगी, अर्थात : ––

(क) सूचना प्रौद्योगिकी और सहबद्ध क्षेत्रों की सभी शाखाओं में शिक्षण की व्यवस्था करना और शोध कार्यो और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना ;

(ख) उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं को संस्थित और प्रदान करना ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें उपाधियों या अन्य शैक्षणिक विशिष्टताएं स्वीकृत और प्रदान करना, जिन्होंने ––

(एक) विश्वविद्यालय में या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धती के अधीन किसी शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो ; या

(दो) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में या किसी दूरस्थ शिक्षा पद्धती के अधीन शोध कार्य किया हो ;

(घ) परिनियमों में अधिकथित रीति से और शर्तो के अधीन मानद् उपाधियाँ या अन्य शैक्षणिक विशिष्टतायें प्रदान करना ;

(ड़) परिनियमों के अनुसार अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियां, छात्र–सहायता वृत्तियाँ तथा पारितोषिकों को संस्थित करना और उन्हें प्रदान करना ;

(च) ऐसी फीस और प्रभार को मांगना और प्राप्त करना जो यथास्थिति परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायें ;

(छ) सूचना प्रोद्योगिकी और सहबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा की अभिवृद्धि के लिए व्यवस्था करना ;

(ज) छात्रों और कर्मचारियों के लिए पाठ्येतर क्रिया–कलापों की व्यवस्था करना ;

(झ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करना ;

(ञ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनार्थ उपकृतियां, संदान और दान प्राप्त करना और न्यास और विन्यास की सम्पत्तियों को सम्मिलित करते हुए किसी जंगम या स्थावर सम्पत्ति का अधिग्रहण, धारण, प्रबन्ध और निस्तारण करना ;

(ट) छात्र निवासों को संस्थित और अनुरक्षित करना और विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के लिए निवास स्थानों को मान्यता देना ;

(ठ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों के निवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और उनमें अनुशासन को विनियमित करना और उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए व्यवस्था करना ;

(ड) प्रशासकीय, लिपिक वर्गीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना ;

(ढ़) अन्य विश्वविद्यालयों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के लिए सहकार्य या सहयोग करना जिन्हें विश्वविद्यालय समय–समय पर अवधारित करें ;

(ण) दूरस्थ शिक्षा पद्धती की व्यवस्था करना ;

(त) अध्यापकों, मूल्याँककों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम, अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशालाएँ, विचार गोष्ठियाँ और अन्य कार्यक्रम आयोजित करना और उनका संचालन करना ;

(थ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में प्रवेश के मानक अवधारित करना ;

(द) राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में किसी शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के छात्रों के लिए विशेष उपबंध करना ;

(ध) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवा शर्तो को अधिकथित करना ;

(न) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की प्रतिभूति पर उधार लेना ;

(प) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए यथा आवश्यक ऐसे सभी अन्य कार्य करना, चाहे वे उपर्युक्त शक्तियों के आनुषंगिक हो या न हो ।

विश्वविद्यालय में सभी वर्गो, जातियों और मतों की पहुँच होगी

7–विश्वविद्यालय सभी व्यक्तियों के लिए होगा भले ही वे किसी वर्ग, मत या लिंग के हों :

प्रतिबंध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नहीं समझा जायेगा कि विश्वविद्यालय को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, नागरिकों के अन्य पिछड़ें वर्गो और ऐसी अन्य श्रेणियों, जैसी राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाय, के प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध बनाना मना है :

अग्रतर प्रतिबंध यह है कि इस धारा की किसी बात से यह नही समझा जाएगा कि विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय द्वारा किसी भी शिक्षण पाठ्यक्रम में परिनियमों द्वारा अवधारित संख्या से अधिक छात्र प्रविष्ट करने की अपेक्षा है।

छात्रों का निवास

8–ऐसे छात्र से, जो दूरस्थ शिक्षा पद्धती द्वारा शिक्षण पाठ्यक्रम का अध्ययन करता है, भिन्न विश्वविद्यालय का प्रत्येक छात्र सामान्यतः छात्र निवास में ऐसे निबन्धनों और शर्तो के अधीन निवास करेगा जैसा अध्यादेशों द्वारा विहित की जाय।

अध्याय – तीन

विश्वविद्यालय के अधिकारी

विश्वविद्यालय के अधिकारी

9–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे :–

(क) कुलाधिपति ;

(ख) कुलपति ;

(ग) प्रति–कुलपति ;

(घ) संकायों के संकायाध्यक्ष ;

(ङ) कुल सचिव ;

(च) वित्त अधिकारी ; और

(छ) ऐसे अन्य अधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी घोषित किये जायं ।

कुलाधिपति

10–(1) कुलाधिपति को राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायगा ।

(2) कुलाधिपति अपने पद के आधार पर विश्वविद्यालय का प्रधान होगा ।

(3) कुलाधिपति का कार्यकाल तीन वर्ष या उससे अधिक ऐसी अवधि का होगा जैसी राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाय ।

(4) कुलाधिपति को ऐसी शक्तियाँ होंगी जो उसे इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों द्वारा प्रदान की जाय ।

(5) कोई मानक उपाधि या विशिष्टता प्रदान करने का प्रस्ताव कुलाधिपति की पुष्टि के अध्यधीन होगा ।

(6) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो, तो उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा और वह विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को, अपनी ऐसी शक्तियाँ जैसी वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

कुलपति

11–(1) कुलपति, उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार गठित समिति द्वारा संस्तुत तीन व्यक्तियों के पैनल में से पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तो पर जैसी विहित की जायं, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् ––

(क) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति ;

(ख) निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर ;

(ग) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग में राज्य सरकार के सचिव ;

(घ) व्यवस्थापक बोर्ड के दो नामनिर्देशिती जिनमें से एक को व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा समिति के संयोजक के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जायगा।

(3) समिति योग्यता के आधार पर कुलपति का पद धारण करने के लिये उपयुक्त तीन व्यक्तियों के नामों का एक पैनल तैयार करेगी और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति की शैक्षिक अर्हताओं और अन्य विशिष्टियों को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त विवरण के साथ उसे कुलाधिपति को अग्रसारित करेगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और वह विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर सामान्य पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(5) जहां अध्यापक की नियुक्ति से भिन्न कोई ऐसा अत्यावश्यक मामला हो, जिसमें तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो और उसके संबंध में कार्यवाही करने के लिये इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन सशक्त विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या अन्य निकाय द्वारा इस पर तत्काल कार्यवाही न की जा सके तो कुलपति ऐसी कार्यवाही कर सकेगा जो वह ठीक समझे और अपने द्वारा की गयी कार्यवाही की तत्काल रिपोर्ट वह कुलाधिपति और ऐसे अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय को भी देगा जो सामान्य क्रम में उस मामले के संबंध में कार्यवाही करते :

प्रतिबंध यह है कि यदि उसमें परिनियमों या अध्यादेशों से कोई विचलन हो तो कुलाधिपति के पूर्वानुमोदन के बिना कुलपति कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिकारी, प्राधिकारी या अन्य निकाय की राय हो कि ऐसी कार्यवाही नही की जानी चाहियें थी, तो वह मामला कुलाधिपति को निर्दिष्ट कर सकेगा जो या तो कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही की पुष्टि कर सकेगा या उसे निष्प्रभावी कर सकेगा या उसे ऐसी रीति से उपान्तरित कर सकेगा जिसे वह ठीक समझे और तदुपरान्त वह कार्यवाही यथास्थिति प्रभावी नहीं होगी या उपान्तरित रूप में प्रभावी होगी, किन्तु ऐसे किसी निष्प्रभावीकरण या उपान्तर से कुलपति के आदेश द्वारा या उसके अधीन पहले की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा :

प्रतिबन्ध यह भी है कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी व्यक्ति को, जो इस उपधारा के अधीन कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही से व्यथित हो, ऐसी कार्यवाही के विरूद्ध उस दिनांक से जब उसे ऐसी कार्यवाही के सम्बन्ध में विनिश्चय से संसूचित किया जाय, तीन माह के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तदुपरान्त प्रबन्ध बोर्ड, कुलपति द्वारा की गयी कार्यवाही को पुष्ट, उपान्तरित या उसे उलट सकेगा।

(6) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अधिकथित किये जाये।

प्रति–कुलपति

12–प्रति–कुलपति की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जा सकेगी जैसी विहित की जाय और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो विहित किये जाये ।

संकायों के संकायाध्यक्ष

13–संकायों के संकायाध्यक्षों की नियुक्ति कुलपति द्वारा ऐसी रीति से की जायेगी जैसी विहित की जाय, और वे ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे जो विहित किये जाय ।

कुल सचिव

14–(1) कुल सचिव की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तो पर की जायेगी जैसी विहित की जाय ।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से सभी संविदायें करेगा और उन्हें हस्ताक्षरित करेगा ।

(3) कुल सचिव को विश्वविद्यालय की ओर से अभिलेखों को अभिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किए जायं या कुलाधिपति या कुलपति द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों।

(4) कुलसचिव, विश्वविद्यालय के अभिलेखों तथा सामान्य मुद्रा की सम्यक अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा और वह कुलाधिपति, कुलपति या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष ऐसी समस्त सूचना और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा जो उनके कार्य सम्पादन के लिए आवश्यक हों ।

वित्त अधिकारी

15–वित्त अधिकारी कुलाधिपति द्वारा ऐसी रीति से नियुक्त किया जायेगा जैसी विहित की जाय और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग अथवा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो विहित किये जाये या कुलाधिपति या कुलपति या कुल सचिव द्वारा समय–समय पर अपेक्षित हों ।

अन्य अधिकारी

16–विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति, सेवा की निबन्धन और शर्ते और शक्तियां और कर्तव्य ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

अध्याय – चार

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

17–विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् : ––

(क) व्यवस्थापक बोर्ड ,

(ख) प्रबन्ध बोर्ड ;

(ग) विद्या परिषद् ;

(घ) वित्त समिति , और

(ङ) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जाए ।

व्यवस्थापक बोर्ड और उसकी शक्तियां

18–(1) व्यवस्थापक बोर्ड में निम्नलिखित होंगे :––

(क) कुलाधिपति जो उसका अध्यक्ष होगा;

(ख) कुलपति जो सदस्य–सचिव होगा ;

(ग) महर्षि संस्थान द्वारा नाम–निर्दिष्ट तीन व्यक्ति ;

(घ) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग में राज्य सरकार का सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो राज्य सरकार के विशेष सचिव से निम्न श्रेणी का न हो ; और

(ङ) तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा नाम निर्दिष्ट एक शिक्षाविद् ।

(2) व्यवस्थापक बोर्ड विश्वविद्यालय का प्रशासनिक निकाय होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् : ——

(क) विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के विनिश्चयों का, यदि वे इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों के अनुरूप न हों, पुनर्विलोकन करना ;

(ख) विश्वविद्यालय के बजट और वार्षिक रिपोर्ट को अनुमोदित करना ;

(ग) विश्वविद्यालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली नीतियों का निर्धारण करना ;

(घ) नए या अतिरिक्त परिनियमों को बनाना या प्रथम परिनियमों को संशोधित या निरसित करना ;

(ङ) विश्वविद्यालय के स्वैच्छिक समापन के सम्बन्ध में विनिश्चय करना ; और

(च) राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों को अनुमोदित करना ।

(3) व्यवस्थापक बोर्ड समय–समय पर ऐसे अन्तरालों पर जो छः माह से अधिक नहीं होगा, ऐसे समय और स्थान पर जैसा कुलाधिपति उचित समझे, बैठक करेगा ।

प्रबन्ध बोर्ड

19–(1) प्रबन्ध बोर्ड में निम्नलिखित होंगे : ——

(क) कुलपति ;

(ख) तकनीकी शिक्षा परिषद् का एक नामनिर्देशिती ;

(ग) महर्षि संस्थान द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ;

(घ) विश्वविद्यालय के तीन आचार्य, प्रत्येक भिन्न–भिन्न क्षेत्रों से, ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम से ;

(ड़) प्रत्येक संकाय से एक आचार्य, जो कुलाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायगा;

(च) सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग में राज्य सरकार का सचिव या उसका नामनिर्देशिती जो राज्य सरकार के संयुक्त सचिव से निम्न श्रेणी का न हो ।

(2) कुलपति प्रबन्ध बोर्ड का अध्यक्ष होगा ।

(3) कुल सचिव प्रबन्ध बोर्ड का सचिव होगा ।

(4) प्रबन्ध बोर्ड की शक्तियाँ एवं कृत्य वही होंगे जो विहित किये जाय ।

विद्या परिषद्

20–(1) विद्या परिषद् में निम्नलिखित होंगे : ——

(क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) कुल सचिव, जो सचिव होगा ; और

(ग) ऐसे अन्य व्यक्ति जो विहित किये जाये ।

(2) विद्या परिषद् विश्वविद्यालय की मुख्य शैक्षणिक निकाय होगी और इस अधिनियम नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों में समन्वय स्थापित करेगी और उनका पर्यवेक्षण करेगी ।

वित्त समिति

21–(1) वित्त समिति में निम्नलिखित होंगे : ––

(क) कुलपति, जो अध्यक्ष होगा ;

(ख) वित्त अधिकारी ;

(ग) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट राज्य सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न श्रेणी का एक अधिकारी ;

(घ) ऐसे अन्य सदस्य जो विहित किये जाये ।

(2) वित्त समिति विश्वविद्यालय की प्रमुख वित्तीय निकाय होगी जो वित्तीय मामलों की देखभाल करेगी और इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों और अध्यादेशों के अध्यधीन रहते हुए समन्वय स्थापित करेगी और विश्वविद्यालय के वित्तीय मामलों पर सामान्य पर्यवेक्षण करेगी ।

अन्य प्राधिकारी

22–विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों का गठन, उनकी शक्तियाँ और कृत्य ऐसे होंगे जैसे विहित किये जाय ।

रिक्ति के कारण कार्यवाही का अविधिमान्य न होना

23–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि प्राधिकारी के गठन में कोई रिक्ति या त्रुटि विद्यमान थी ।

अध्याय – पाँच

परिनियम और अध्यादेश

परिनियम

24–इस अधिनियम और नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, परिनियमों में विश्वविद्यालय से संबद्ध किसी विषय के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे और विशिष्टतया निम्नलिखित के लिए उपबन्ध किये जायेंगे : ––

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के कार्य सम्पादन की और ऐसी इकाइयों के गठन की जो इस अधिनियम में विनिर्दिष्ट नहीं की गई है, प्रक्रिया ;

(ख) स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि और विकास निधि की संक्रिया ;

(ग) कुलपति, कुल सचिव और वित्त अधिकारी की नियुक्ति की निबन्धन और शर्तें और उनकी शक्तियाँ एवं कृत्य ;

(घ) विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों, अध्यापकों और कर्मचारियों की भर्ती की रीति और सेवा की शर्तें ;

(ङ) विश्वविद्यालय और उसके अधिकारियों, संकाय के सदस्यों, कर्मचारियों और छात्रों के मध्य विवादों के निराकरण की प्रक्रिया ;

(च) विभागों ओर संकायों का सृजन, समापन और उनकी पुनर्संरचना ;

(छ) अन्य विश्वविद्यालयों या उच्चतर ज्ञान की संस्थाओं के साथ सहयोग की रीति;

(ज) मानद् उपाधियों के प्रदान करने की प्रक्रिया ;

(झ) विद्यावृत्तियों और छात्रवृत्तियों की स्वीकृति संबंध में उपबन्ध ;

(ञ) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों में स्थानों की संख्या और ऐसे पाठ्यक्रमों में छात्रों के प्रवेश की जिसमें स्थानों का आरक्षण भी सम्मिलित है, प्रक्रिया ;

(ट) विभिन्न शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए छात्रों से प्रभार्य शुल्क ;

(ठ) अधिछात्रवृत्तियों, छात्रवृत्तियों, विद्यावृत्तियों फीस, माफी, पदकों और पारितोषकों को संस्थित करना ;

(ड) पदों के सृजन और समापन की प्रक्रिया ;

(ढ) अन्य मामले जिन्हें विहित किया जाना हो या जो विहित किये जायं ।

प्रथम परिनियम कैसे बनाए जायेंगे

25–प्रथम परिनियम महर्षि संस्थान द्वारा बनाए जायेंगे और इस प्रकार बनाए गये परिनियमों को राज्य सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जो उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी ।

परिनियम में संशोधन करने की शक्ति

26–व्यवस्थापक बोर्ड राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकेगा या परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा ।

अध्यादेश

27–इस अधिनियम, नियमों और परिनियमों के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित समस्त या उनमें से किसी विषय के लिए उपबन्ध किये जा सकेंगे, अर्थात् : ––

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश तथा उनका नामांकन होना और इस रूप में बना रहना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं के लिए निर्धारित किये जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रम ;

(ग) उपाधियों तथा अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं को प्रदान करना ;

(घ) अधिछात्रवृत्तियाँ, छात्रवृत्तियाँ, विद्यावृत्तियाँ, पदक तथा पारितोषिक प्रदान करने की शर्तें ;

(ङ) परीक्षाओं का संचालन तथा परीक्षा निकायों, परीक्षकों, अन्तरीक्षकों, सारणीकारों तथा अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्तव्य ;

(च) विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्टताओं में प्रवेश के लिए ली जाने वाली फीस ;

(छ) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय में छात्रों के निवास की शर्तें ;

(ज) विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना ;

(झ) अन्य सभी विषय जिनके लिए इस अध्यादेश, नियमों या परिनियमों द्वारा अध्यादेश में उपबन्ध किये जायें ।

प्रथम अध्यादेश

28–(1) प्रथम अध्यादेश महर्षि संस्थान द्वारा बनाया जायेगा और इस प्रकार बनाये गये अध्यादेश राज्य सरकार को उसके अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जायेगा जो प्रथम अध्यादेश की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के भीतर उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अपना अनुमोदन दे सकेगी ।

(2) जहाँ राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रथम अध्यादेश के अनुमोदन के संबंध में कोई विनिश्चय करने में असफल रहती है वहाँ यह समझा जाएगा कि राज्य सरकार ने प्रथम अध्यादेश को अनुमोदित कर दिया है ।

अध्यादेशों को संशोधित करने की शक्ति

29–राज्य सरकार के अनुमोदन के अध्यधीन रहते हुए, विद्यापरिषद्, प्रबन्ध बोर्ड के अनुमोदन से, नये या अतिरिक्त अध्यादेश बना सकेगी या अध्यादेशों को संशोधित या निरसित कर सकेगी ।

अध्याय – छः

प्रकीर्ण

कर्मचारियों की सेवा शर्ते

30–(1) प्रत्येक कर्मचारी की नियुक्ति एक लिखित संविदा के अधीन की जायेगी जो विश्वविद्यालय के पास रखी जायेगी और उसकी एक प्रति सम्बन्धित कर्मचारी को दी जायेंगी ।

(2) विश्वविद्यालय और किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर माध्यस्थम अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायगा जिसमें प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नाम–निर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाधिपति द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होंगे ।

(3) ऐसे मामलों में अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होंगा ।

(4) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी विहित की जाय ।

छात्रों के विरूद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील की प्रक्रिया और माध्यस्थम्

31–(1) किसी परीक्षा के लिए कोई ऐसा छात्र या अभ्यर्थी, जिसका नाम यथास्थिति कुलपति या प्राचार्य के आदेश द्वारा या विद्यापरिषद् के संकल्प द्वारा विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय की नामावली से हटा दिया गया हो और जो एक वर्ष से अधिक के लिए विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने से विवर्जित किया गया हो, वह ऐसे आदेश या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति के दस दिनों के भीतर प्रबन्ध बोर्ड को अपील कर सकेगा जो यथास्थिति, कुलपति, विद्यापरिषद या प्राचार्य के विनिश्चय को पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा ।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरूद्ध की गयी अनुशासनिक कार्यवाही से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद ऐसे छात्र के अनुरोध पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायगा और धारा 30 की उपधारा (2) से (4) तक के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तन सहित, इस उपधारा के अधीन किये गये किसी निर्देश पर लागू होंगे ।

अपील करने का अधिकार

32–विश्वविद्यालय या किसी घटक महाविद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी या किसे ऐसे महाविद्यालय के प्राचार्य के विनिश्चिय के विरूद्ध प्रबन्ध बोर्ड

को, ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाये, अपील करने का अधिकार होगा और उस पर प्रबन्ध बोर्ड ऐसे विनिश्चय को, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, पुष्ट, उपान्तरित या उलट सकेगा ।

भविष्य एवं पेंशन निधियों

33–विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अध्याधीन रहते हुए जो विहित की जाय, ऐसी भविष्य या पेंशन निधियों का गठन करेगा और ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा जैसी वह उचित समझे ।

विश्वविद्यालय प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद

34–यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से निर्वाचित या नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है, तो वह विषय कुलाधिपति को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।

समितियों का गठन

35–जहाँ विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को, इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन, समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति प्रदान की गयी हो, वहाँ ऐसी समितियों में, अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, सम्बन्धित प्राधिकारी का कोई या समस्त सदस्य या ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक मामले में उचित समझे, सम्मिलित होंगे ।

आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति

36–विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की किसी आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति उसी रीति से की जायगी जिस रीति से वह सदस्य जिसकी रिक्ति की पूर्ति करना हो, चुना गया हो, और रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य बना रहता ।

सद्भावनापूर्व की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण

37–कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों मे से किसी के अनुसरण में सद्भावनापूर्वक की गई है या की जाने के लिए तात्पर्यित है, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध संस्थित नही होगी ।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

38–इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों या परिनियमों में किसी बात के होते हुये भी, ––

(क) प्रथम कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायेगी और उक्त अधिकारी पाँच वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेगा ;

(ख) प्रथम कुल सचिव और प्रथम वित्त अधिकारी की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जायगी जो तीन वर्ष की अवधि के लिये पदधारण करेंगे ;

(ग) प्रथम व्यवस्थापक बोर्ड में ग्यारह से अनधिक सदस्य होंगे जो कुलाधिपति द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे और वे तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेंगे ;

(घ) प्रथम प्रबन्ध बोर्ड, प्रथम वित्त समिति और प्रथम विद्या परिषद् का गठन, कुलाधिपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिये किया जायगा ।

स्थायी विन्यास निधि

39–(1) विश्वविद्यालय कम से कम दस करोड़ रूपये की एक स्थायी विन्यास निधि स्थापित करेगा जिसे राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, इस निमित्त जारी अधिसूचना द्वारा बढ़ाया जा सकेगा ;

(2) विश्वविद्यालय को स्थायी विन्यास निधि को ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, निवेश करने की शक्ति होगी ;

(3) विश्वविद्यालय सामान्य निधि से या विकास निधि से कोई धनराशि स्थायी विन्यास निधि को अन्तरित कर सकेगा ;

(4) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट न्यूनतम धनराशि से अधिक कोई धनराशि विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी विन्यास निधि से निकाली जा सकेगी ।

सामान्य निधि

40–(1) विश्वविद्यालय एक सामान्य निधि की स्थापना करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायगी, अर्थात् :–

(क) सभी फीस, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा प्रभारित किया जाय ;

(ख) किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) महर्षि संस्थान द्वारा किये गये सभी अंशदान ; और

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान।

(2) सामान्य निधि में जमा धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय कें सभी आवर्ती व्यय के लिये किया जायगा ।

विकास निधि

41–(1) विश्वविद्यालय एक विकास निधि भी स्थापित करेगा जिसमें निम्नलिखित धनराशि जमा की जायेगी, अर्थात् :–

(क) विकास फीस, जिसे छात्रों से प्रभारित किया जाय ;

(ख) विश्वविद्यालय के विकास के प्रयोजनों के लिये किसी अन्य स्त्रोत से प्राप्त की गयी समस्त धनराशि ;

(ग) महर्षि संस्थान द्वारा किये गये सभी अंशदान ;

(घ) किसी अन्य व्यक्ति या निकाय द्वारा, जिसे तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा निषिद्ध न किया गया हो, इस निमित्त किये गये सभी अंशदान ; और

(ङ) स्थायी विन्यास निधि से प्राप्त की गयी समस्त आय ।

(2) विकास निधि में समय–समय पर जमा की गई धनराशि का उपयोग विश्वविद्यालय के विकास के लिये किया जायगा ।

निधि का अनुरक्षण

42–धारा 39, 40 और 41 के अधीन स्थापित निधियों को व्यवस्थापक बोर्ड के सामान्य पर्यवेक्षण और नियंन्त्रण के अध्यधीन रहते हुए, ऐसी रीति से, विनियमित और अनुरक्षित किया जायेगा जैसी विहित की जाय ।

वार्षिक प्रतिवेदन

43–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किया जायगा और उसे व्यवस्थापक बोर्ड को अनुमोदन के लिये प्रस्तुत किया जायगा ।

(2) व्यवस्थापक बोर्ड, अपनी बैठक में वार्षिक प्रतिवेदन पर विचार करेगा और उसे उपान्तर के साथ या बिना उपान्तर के अनुमोदित करेगा ।

(3) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति राज्य सरकार को प्रेषित की जायगी ।

लेखा और संपरीक्षा

44–(1) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र प्रबन्ध बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्त्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्भूत या प्राप्त

समस्त धनराशि और ऐसी समस्त धनराशि की जिनका वितरण या संदाय किया गया हो, विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित लेखों में प्रविष्टि की जायगी ।

(2) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र की सम्परीक्षा ऐसे सम्परीक्षक द्वारा और ऐसे अन्तराल पर की जायेंगी, जैसी विहित की जाये ।

(3) सम्परीक्षा प्रतिवेदन के साथ वार्षिक लेखा और तुलन–पत्र की एक प्रति व्यवस्थापक बोर्ड को प्रस्तुत की जायगी ।

(4) व्यवस्थापक बोर्ड द्वारा वार्षिक लेखा, तुलन–पत्र और सम्परीक्षा प्रतिवेदन पर अपनी बैठक में विचार किया जायगा और व्यवस्थापक बोर्ड उस पर अपने संप्रेक्षण के साथ उसे राज्य सरकार को अग्रसारित करेगा ।

विश्वविद्यालय के अभिलेख को सिद्ध करने की रीति

45–विश्वविद्यालय के कब्जे में विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेज या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक रूप से अनुरक्षित किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रति, यदि कुल सचिव द्वारा प्रमाणित हो तो उसे ऐसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर में प्रविष्टि होने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जायेगी और उसमें अभिलिखित विषय और व्यवहार के लिये साक्ष्य के रूप में उसी प्रकार ग्रहण किया जायगा जैसा कि यदि मूल प्रति प्रस्तुत की गयी होती हो वह साक्ष्य में ग्राहय होती ।

महर्षि संस्थान का विघटन

46–(1) महर्षि संस्थान राज्य सरकार को कम से कम छः माह की लिखित नोटिस देगा यदि वह अपने गठन और निगमन को विनियमित करने वाली विधि कि अनुसार अपने विघटन का प्रस्ताव करता है ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस के प्राप्त होने पर राज्य सरकार, तकनीकी शिक्षा परिषद् से परामर्श करके, महर्षि संस्थान के विघटन के दिनांक से और जब तक विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षण पाठ्यक्रमों में छात्रों का अन्तिम बैच अपने शिक्षण पाठ्यक्रमों को ऐसी रीति से पूरा न कर ले, विश्वविद्यालय के प्रशासन की ऐसी व्यवस्था करेगा, जैसी नियमों द्वारा विहित की जाय ।

महर्षि संस्थान के विघटन के दौरान विश्वविद्यालय का व्यय

47–(1) धारा 46 के अधीन उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये व्यय का वहन स्थायी विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि से किया जायेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट निधि, विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये उसके प्रबन्ध ग्रहण करने की अवधि के दौरान पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार द्वारा ऐसा व्यय विश्वविद्यालय की सम्पत्तियों या आस्तियों का निस्तारण करके किया जा सकेगा ।

निर्देश जारी करने की शक्ति

48–राज्य सरकार की निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी, अर्थात् : ––

(क) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा या उसके अधीन विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के लिये अपेक्षित किसी मामले के सम्बन्ध में निर्देश जारी करना ;

(ख) किसी विषय पर परिनियम बनाने के लिये आदेश देना ।

राज्य सरकार द्वारा विष्वविद्यालय का परिसमापन

49–(1) जहाँ राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय को उसके द्वारा दिये गये किसी निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया है या विश्वविद्यालय के कुप्रबन्ध के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर वह विश्वविद्यालय से अपेक्षा करेगी कि ऐसे समय के भीतर जो एक मास से कम नहीं होगा, कारण बताये कि विश्वविद्यालय का परिसमापन क्यों न कर दिया जाय ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गयी नोटिस पर विश्वविद्यालय का उत्तर प्राप्त हो जाने पर राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि प्रथमदृष्टया कुप्रबन्ध या इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या तद्धीन जारी किन्हीं निर्देशों के उल्लंघन का मामला पाया गया है तो वह ऐसी जाँच करने का आदेश देगी जिसे वह आवश्यक समझे ।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी जाँच के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, जाँच प्राधिकारी के रूप में किसी अधिकारी या प्राधिकारी को कुप्रबन्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों या उसके अधीन जारी किन्ही निर्देशों के उल्लंघन के अभिकथन की जाँच करने और रिपोर्ट देने के लिये नियुक्त करेगी ।

(4) जहाँ राज्य सरकार के विचार से विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के सम्बन्ध में किसी जाँच के प्रयोजनों के लिये व्यवस्थापक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड को निलम्बित करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, व्यवस्थापक बोर्ड या प्रबन्ध बोर्ड को निलम्बित करने का आदेश दे सकेगी और जांच पूरी होने तक के लिये विश्वविद्यालय के प्रशासन के लिये ऐसी व्यवस्था कर सकेगी जैसी वह आवश्यक समझे ।

(5) उपधारा (3) के अधीन नियुक्त प्रत्येक जाँच प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करते समय किसी वाद का और विशिष्टतः निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध मे ंविचारण करने वाले सिविल न्यायालय की शक्ति होगी, अर्थात् : ––

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर होने के लिये बाध्य करना और शपथ दिलाकर उसका बयान लेना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना ;

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की माँग करना ;

(घ) शपथपत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(ङ) कोई अन्य मामला जो नियमों द्वारा विहित किया जाय ।

(6) यदि जाँच रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि विश्वविद्यालय में कुप्रबन्ध हुआ है या उसने इस अधिनियम, नियमों, परिनियमों, अध्यादेशों के किन्हीं उपबन्धों या उनके अधीन जारी किसी निर्देश का उल्लंघन किया है तो वह अधिसूचना द्वारा विश्वविद्यालय का परिसमापन करने का आदेश दे सकेगी ।

(7) उपधारा (6) के अधीन किसी अधिसूचना को जारी करते समय राज्य सरकार चालू शिक्षण पाठ्यक्रम को समाप्ति तक के लिये विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रशासन के लिये अग्रतर व्यवस्था करेगी ।

(8) उपधारा (7) के अधीन विश्वविद्यालय के प्रबन्ध की अवधि के दौरान, राज्य सरकार स्थाई विन्यास निधि, सामान्य निधि या विकास निधि का उपयोग विश्वविद्यालय के कार्यकलापों के प्रबन्ध के प्रयोजनों के लिये कर सकेगी । यदि विश्वविद्यालय की निधि विश्वविद्यालय की अपेक्षित व्यय को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है तो राज्य सरकार उक्त व्यय को पूरा करने के लिये विश्वविद्यालय की आस्तियों या सम्पत्तियों का व्ययन कर सकेगी ।

(9) उपधारा (6) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान मण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखी जायगी ।

नियम बनाने की शक्ति

50–राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकेगी ।

कठिनाइयों को दूर करना

51–(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो राज्य सरकार, अधिसूचित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाइयों को दूर करने के लिये उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

प्रतिबन्ध यह है कि उपधारा (1) के अधीन कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नही किया जायगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र राज्य विधानमण्डल के दोनो सदनों के समक्ष रखा जायेगा और उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23–क की उपधारा (1) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे किसी भी उत्तर प्रदेश अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

निरसन और अपवाद

उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या 14 सन् 2001

52–(1) उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृत या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था ।

उद्देश्य और कारण

हाल के वैज्ञानिक आविष्कारों और विकासों ने सूचना प्रौद्योगिकी में क्रान्ति ला दी है और यह आवश्यक हो गया है कि उनके साथ तारतम्य बनाये रखा जाय । यद्यपि राज्य में अनेक संस्थायें सूचना प्रौद्योगिकी में शिक्षा प्रदान कर रही हैं किन्तु यह अनुभव किया गया कि एक ऐसे विश्वविद्यालय का जो उस क्षेत्र में गुणात्मक शिक्षा प्रदान कर सके, होना आवश्यक है । चूँकि राज्य सरकार के लिये अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना करना सम्भव नही था, अतएव यह विनिश्चिय किया गया कि निजी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय ।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतएव राज्यपाल द्वारा दिनांक 7 अगस्त, 2001 को उत्तर प्रदेश महर्षि सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2001 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 2001) प्रख्यापित किया गया ।

उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है ।

—————————